

पत्रावली पुरस्तुत | पत्रावली में सम्मिलित बाप तामिल
पेश नहीं पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13.2.15 को
पेश हो।

(Handwritten signature)

13/3/15
पत्रावली पेश हुई | पीठासीन अधिकारी
अध्यापक कार्य होके
/ मूल: पत्रावली
दिनांक 13/3/15 को पेश हो।

पत्रावली

13/3/15
पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
अध्यापक कार्य में व्यवसाय/
पत्रावली पेश की जा रही है।
कोषिका नम्बर: 10/11/15 को
पेश हो।

10/11/15
बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/पीठासीन
अधिकारी अध्यापक में होने से
प्रकरण दि. 15/11/15 को पेश हो। 2

11/1/15
पत्रावली अलग राजाध लोड बाहालम/ डेप्य डेरी
आगे धाम में पेश हुई। पुरातवाही बाक्युर हुना
उत्त पार्थिव/ वाही उपाधित होने से पत्रावली
डेप्य डेरी में लिया जाकर पत्रावली का अवलोकन
दिया गया। बाह्यत आराजी नम्बर 230 रकबा
2-10 वीधा श्रमि के वाही खालेदार कायत हो
के वाही का डयन है कि अलिवाहीका का वाह्यत
श्रमि से कोई सरोदार नवी है किभी पुरि
करीशत, वाही के अलजे कायत में एखले बाजी
पेश करते हैं अलग पुरि वाह्यत हो डयन डयन
डयन से रोडा जावे। एमने वाही के डयनो
या मन्म एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
बाह्यत आराजी के वाही खालेदार उपाधित
योजित किया है। पुरातवाहीका बाक्युर हुना
अनुपाधित रहे हैं। वाही खालेदार है एवं खालेदार
के अलजे कायत कोई एखले बाजी पेश करे यह
दखित प्रतीत नहीं होता है। डयन तथ्यों के
आधार पर वाही का बाप लीगा दिया


(Handwritten signature)
(पुत्रावली)

इरा राजा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील में
----------------	------------------------------------	-------------------------------------

जाना उचित प्रतीत होता है अतः उपरोक्त
 विवेचन के आधार पर कारीगरों को वह
 स्वीकार किया जाता है एवं मजिना बाघापाडी
 की आरंभिक मजदूरी 230 रु. तथा 2.10 वी.पी.
 अर्थ में जारी है शांतिपूर्वक ढंग से
 किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करने एवं कार्य
 में रुकेगा नहीं करने का वाक्य प्रतिकारिता को
 स्थानीय विवे. डांडा से जाबत किया जाता है
 पत्रावली निर्मित होकर संज्ञा से उमर
 निर्णय सुनाया गया।


 लोक अदालत, कोटड़ा


 उपखण्ड अधिकारी
 कोटड़ा (जिला उदयपुर)

(Faint, mostly illegible handwritten text and stamps at the bottom of the page, including a large blue scribble.)

डिक्री व मुकदमें इबतदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोबुब्बा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सत्यनारायण झाचार्य (RAS) कोटड़ा
मुकदमा 10/13 सन् सीगह
श्री द्वारा पिता राना लक्ष्मण गिरी बनाम श्रीया पिता अनिया खैट
नि. पापरपाड़ी नि.

दावा बाबत 188, 92 B RT Act.

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री सत्यनारायण झाचार्य के समक्ष प्रस्तुत हुआ
वादी की ओर से वकील श्री प्रतिवादी की ओर से वकील

की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि श्रीया पापरपाड़ी
की अहाली लम्बत 230 रुकवा 2.10 बीघा रुमि में वादी के
आतिशुण कृषि रूप में किसी प्रकार की कृषल दायी नही करने
इस रुमि में प्रवेश नही करने सुखत प्रतिवारीगण का स्थायी
निषेधारा से पाबन्द किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे रुपये की राशि आज की तारीख
से वसूली की तारीख तक उस पर प्रतिशत की दर से ब्याज सहित
द्वारा को दी जाये।

यह आज तारीख 11 मार 07 सन् 2015 को
मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

सदस्य
लोक अदालत, कोटड़ा

(सत्यनारायण झाचार्य)
हस्ताक्षर न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		
योग			योग		